

उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

मु. नं. 6/15

ता. 22/6/15

पीठासीन अधिकारी - जगदीश आर्य R.A.S.

उनवान

1. उमेदी पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी तूभापुरा तहसील टोडाभीम (मृतक)

1/1 फतेराम

1/2 परसराम

1/3 हरभजन

1/4 राजेन्द्र

1/5 विजेन्द्र

1/6 रामपति पत्नि उमेदी

1/7 राकेश

1/8 करण

1/9 प्रेमबाई पत्नि करण

पिं उमेदी

सगस्त जाति मीना

निवासी - तूभापुरा

तहसील - टोडाभीम

जिला - करौली

2. रामगिलास दत्तक पुत्र कलुवा

वनाग

(साथलान)

1. गुलकंठी पत्नि रामकुमार

2. रामगोपाल

3. रामखितासी

4. रामप्रसाद

5. दीलतराम

6. जिन्सी

7. रामफूल उर्फ रामफल

8. हरपाल उर्फ हरलाल

पिं सरवन

पिं रेवड्या

(लगातार)

उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

शाखा टोडाभीम जिला करौली, राज0।

26. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर करौली, राज0।

राजेन्द्र

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाक्ष

दिनांक	फर्द अहकाम
19-12-17	वकुलाय उपपरीषद / वहा के लिखू कागज-वाह बाइला दिनांक 16-1-18को पेश हो
16-1-18	वकुलाय उपपरीषद / वहा के लिखू अंतिम गौर दिनांक 6-2-18को पेश हो
6-2-18	वकुलाय उपपरीषद गलाहसारे दि 20-2-18को पेश हो
20-2-18	वकुलाय उपपरीषदीकरण अधिकारी पुनः कार्य में कोठी पेश हो। अतः पत्रवाही गलाहसारे दिनांक 13-3-18 को पेश हो।
13-3-18	वकुलाय उपपरीषदी वकील ने वहा के लिखू सगल पाहल सुनकर प्रतिवादी वकील को निर्देश दिये गये कि आगामी सुनवाई तिथी पर वहा सुनी जायेगी। अतः वहा दि 20-3-18 को पेश हो
20-3-18	वकुलाय उपपरीषदी अर्थात् 20-3-18 के वकील ने द. 022 R. 1 आगत प्रतिवादी उम्मेदी के कागज मुकाम रिकार्ड पर लिखे जाने पेश की। इस प्रार्थना के संदर्भ में प्राचीन वकील ने कपन किया कि उम्मेदी के फौत हो जाने के बाद उसके कागज मुकाम रिकार्ड पर आ चुके हैं। अतः उम्मेदी के कागज मुकाम की डिको पुस्तक हो चुका है। उम्मेदी के कागज मुकाम की डिको से मैं उपस्थित हो चुका हूँ। इस प्रार्थना पर के पुस्तक वही का कोई उम्मेदी नहीं है। अतः सुनकर क पत्रवाही का अवलोकन करके प्रार्थना पर

# यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्त अहकाम

खातिज किया जाता है कायापुराण को जो रिस जारी करने की गंगा के संघर्षों आदेश है कि जब अपनी उगा से अधिकतरता उपस्थित है तो जारी जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है

प्रार्थनायक अध्याई निवेदाशा पर धकील आययस की बहस सुनी गई / बहस पर मनन किया / पत्रावली का अवलोकन किया / आययस कासको ता दौबा फैसला अध्याई निवेदाशा से पाबंद किया जाता है विचारित आराजीयात में जो भी व्यक्ति जिल स्थिति में जहां बना है / विचारित प्रथास्थिति कोय रखेगा / भूमिकर रतन विषय नहीं करेगा / विस्तृत निर्णय पुष्क से लिखाया जाकर शामिल किया गया / पत्रावली फैसल शुभा टोका नकले का होकर दारिल दपत है



उपरखण्ड अधिकारी  
टोडाभीम, करांली (राज०)